## <u>न्यायालयः—राजेन्द्र कुमार अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी</u> <u>चन्देरी, जिला—अशोकनगर (म.प्र.)</u>

<u>दांडिक प्रकरण कं.-122/16</u> <u>संस्थापित दिनांक-03.05.2016</u> Filling No-235103000712016

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र थाना चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

----अभियोगी

## बनाम

01- बल्ता पुत्र बुद्धा अहिरवार, उम्र-52 वर्ष।

02- गोविन्दं बृद्धां अहिरवार, उम्र-45 वर्ष।

03— कलाबाई पत्नी गंगाराम अहिरवार, उम्र—61 वर्ष, सभी निवासीगण—ग्राम खिरका थाना चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

----अभियुक्तगण

## <u>//निर्णय//</u> (आज दिनांक 24.04.2018 को घोषित)

- 01— अभियुक्तगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324/34 के अंतर्गत घटना दिनांक 08.03.2016 को समय रात 02:30 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत स्थित ग्राम खिरका में कलाबाई के घर में आहत नत्थूलाल को हिसया से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित करने का अभियोग है।
- 02— प्रकरण में अभियुक्तगण को धारा 341/34, 294, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त किया जा चुका है।
- 03— अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 08.03.2016 को समय रात्रि 02:30 बजे फिरयादी नत्थूसिंह गांव से वह अपने घर जा रहा था तभी गावं के बत्ता व गोविन्द अहिरवार पुरानी रंजिश के कारण उसे उसका रास्ता रोककर मां—बहन की बुरी बुरी गालियां दी जिससे उसे बुरी लगी तथा आरोपी बोले कि आहत उनकी बहिन को रखे हो तथा समाज में अभियुक्तगण की बदनामी करा दी तथा उक्त दोनों आरोपीगण उसकी लात घूंसों से मारपीट करने लगे एवं उसी समय किलयाबाई हिसया लेकर आयी और उसके दाहिने हाथ में हिसया मार दीया जिससे उसके दाहिने हाथ की कलमे वाली उंगली में घाव होने से खून निकल आया और मूंह में चोट लगी। उक्त घटना वीरन आदिवासी एवं अटल अहिरवार ने देखी। उसके बाद घटना की रिपोर्ट लेख कराई गई। आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया

गया। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया। साक्षी वीरन, नत्थू एवं अटल के कथन लेखबद्ध किये गए। अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। आरोपी कलाबाई से हिसया जप्त किया गया तथा संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 04— प्रकरण में उपस्थित साक्षियों के साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध घटना से संबंधित कोई कथन न करने से धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता का अभियुक्त कथन निर्मित नहीं किये गए। अभियुक्तगण ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।
- 05— प्रकरण के निराकरण के लिए न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु हैं :—
  1— क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आहत
  नत्थूलाल को धारदार हथियार हिसया से मारपीट कर स्वेच्छया
  कारित की?

## विचारणीय बिन्दु कमांक 1 पर सकारण निष्कर्ष:-

- 06— अभियोज साक्षी आहत नत्थू अहिरवार अ.सा.—3, साक्षी वीरन अ.सा.—1 व साक्षी अटल अ.सा.—2 ने अपने न्यायालीन कथन में अभियुक्तगण द्वारा किसी भी धारदार हथियार से आहत के साथ मारपीट करना प्रकट नही किया गया है, केवल प्रकरण के आहत नत्थू अहिरवार ने आरोपीगण से साधारण वाद विवाद होना अपने न्यायालीन कथन में प्रकट किया है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में भी आरोपीगण द्वारा किसी भी घातक हथियार से मारपीट न किया जाना स्वीकार किया है तथा केवल साधारण वाद विवाद किया जाना आहत द्वारा अपने कथनों में बताया गया है जिसमें आरोपीगण, आहत तथा सूचनाकर्ता के मध्य पूर्व में ही राजीनामा हो चुका है। प्रकरण के स्वतंत्र साक्षीयों ने भी घटना के समर्थन में अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार स्वयं आहत व सूचनाकर्ता द्वारा अभियुक्तगण द्वारा धारदार हथियार से मारपीट किए जाने के संबंध में कोई कथन न कर अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण द्वारा आहत नत्थू अहिरवार के साथ किसी धारदार हथियार से मारपीट की गयी थी।
- 07— इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से अभियोजन, अभियुक्तगण के विरूद्ध अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है जिससे अभियुक्तगण बल्ता, गोविन्द एवं कलाबाई को धारा 324/34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है।

08- अभियुक्तगण के जमानत एवं मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

09— प्रकरण में जप्तशुदा एक हिसया लोहे का होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलिय न्यायलय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित,दिनांकित किया गया। मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

राजेन्द्र कुमार अहिरवार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.) राजेन्द्र कुमार अहिरवार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)